निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रार्थना पत्र संख्या	**फैसल दिनांक**
36/2021	**24.01.2022**

अनवान

श्याम लाल पिता उंकारलाल जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी खोडिप तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---प्रार्थी

।। बनाम।।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित - श्री उदय लाल गाडरी वकील प्रार्थी

प्रार्थी ने अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश प्रस्तुत किया:-

प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की औद्योगिक रूपांतरित भूमि वाके मौजा खोडिप तहसील भदेसर की आराजीयात जिसके नये खाता संख्या 222 के आरजी नम्बर 1783 मीन रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि जिसके पुराने आराजी नम्बर 1549/3ख रकबा 1 बीघा स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी एवं मिलान क्षैत्रफल पेश किया है।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य की है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार नानुराम पिता बोतलाल जाति नाई उम्र वयस्क निवासी खोडिप तहसील भदेसर से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2008 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामांतरकरण संख्या 1735/2008 राजस्व रेकार्ड में दर्ज [illegible] भी से उक्त आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी स्वामित्व में चली आ रही [illegible] प्रार्थी ने उक्त क्रयशुदा आराजीयात नम्बर 1549/3ख रकबा 1 बीघा में से 1784.39 [illegible]मीटर भूमि प्रार्थी ने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय से क्रमांक/राजस्व/भू.रू./

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

012/प्र0सं0 21/22012 दिनांक 13 सितम्बर 2012 से औद्योगिक योजनार्थ रूपांतरित करवाई।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात पुराने राजस्व रेकार्ड में सही रूप से तरमीम थे, परंतु नवीन सेटलमेंट में राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात को पूर्व खातेदार नानुराम पिता बोतलाल नाई निवासी खोडिप के नाम दर्ज कर उक्त औद्योगिक रूपांतरित भूमि को कृषि भूमि दर्ज कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से तरमीम कर दिया। जो राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से हुआ है। इसलिये उक्त नवीन राजस्व रेकार्ड व राजस्व जमाबंदी में तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड व नवीन नक्शा ट्रेस तथा जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की नवीन आराजी 1783मी को प्रर्थी के मौके पर काबिज अनुसार एवं पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार, नवीन राजस्व रेकार्ड व नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त कर नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में तरमीम किये जाने की कृपा करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार भदेसर को मौका कमीश्नर नियुक्त कर कमीश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिस पर तहसीलदार भदेसर के पत्र क्रमांक/राजस्व /2022/53 दिनांक 11.001.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार ग्राम खोडिप प0ह0 खोडिप की पुराने आराजी नम्बर 1549/3ख रकबा 1 बीघा का पुराने रिकार्ड जमाबंदी 2059-2062 से अवलोकन में स्पष्ट है कि आ.नं. 1549/3 रकबा 5 बीघा खाता संख्या 182 पर नानूराम पिता बोतलाल नाई सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिस पर विक्रय नामांतरकरण संख्या 1552 एवं 1648 से विक्रय होक 4/5 हिस्सा केता व 1/5 हिस्सा नानुराम नाई के नाम दर्ज होकर सहमति विभाजन से आ.नं. 1549/3ख रकबा 1 बीघा नानुराम पिता बोतलाल नाई के नाम दर्ज हुआ। शेष केता के नाम पृथक दर्ज होकर आ.नं. 1549/3ख पुनः विक्रय नामांतरकरण संख्या 1735 दिनांक 19.2008 से नानुराम नाइ के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

जाय केता श्यामलाल पिता उंकारलाल कुमावत सा. देह के नाम दर्ज हुई जो भी नामांतरकरण के अमल बीघा/बिस्वा जमाबंदी 2059-2062 के खाता संख्या 182 पर हो रहे है किंतु नये सेटलमेंट के मिलान खसरा अनुसार आराजी नम्बर 1549/3 रकबा 5 बीघा के नवीन आ.नं. 1782 रकबा 0.001 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1783 रकबा 1.07 हैक्टेयर बनाये गये जिसकी आधार वर्ष जमाबंदी 2068 बनी, जिस पर खाता संख्या 196 कायम हुए जिस पर पुराने नामांतरकरण के अमल करते वक्त लिपिकिय भूल से उक्त श्यामलाल के कय के नामांतरकरण 1735 को छोड देने से अमल न होने से आ0नं0 1783 का भाग रकबा 0.22 हैक्टेयर पुनः मुल खातेदार नानूराम नाई के नाम दर्ज रहने से लगातार अग्रिम रोटेशन बनने से वर्तमान ऑनलाईन में आ.नं. 1783 रकबा 0.22 हैक्टेयर नानुराम पिता बोतलाल नाई के नाम दर्ज रेकार्ड है। अतः उपरोक्तानुसार आ0नं0 1783 रकबा 0.22 हैक्ट नानुराम नाई के बजाय श्यामलाल पिता ऊंकारलाल कुमावत सा.देह के नाम दर्ज होना उचित है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रूपांतरण आदेश प्रकरण सं. 21/2012 दिनांक 13.09.2012 अनुसार उक्त रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 1784.39 वर्गमीटर औद्योगिक एवं शेष राजकीय बिलानाम किया जाना उचित है।

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी भूप्रबंध से पहले से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। भूप्रबंध के दौरान प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात को बिना किसी सक्षम आदेश के पुर्वृ खातेदार नानुराम पिता बोतलाल नाई के नाम दर्ज कर दिया जिसे पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाना एवं नवीन नक्शा ट्रेस में सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की प्रार्थना [illegible] 0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि मौजा खोडि[illegible] तहसील भदेसर की आराजी नं0 1783 रकबा 0.2[illegible] हैक्टेयर जो [illegible] सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज थी किंतु सेटलमेंट के दौरान प्र[illegible] के खरीदशुदा आराजी को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नः पूर्व खातेदार नानुराम पिता बोतलाल नाई के नाम दर्ज कर दिया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को प्रकरण सं. 21/2012 दिनांक 13.09.2012 अनुसार उक्त रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 1784.39 वर्गमीटर औद्योगिक रूपांतरण करवाया गया था, अतः आराजी नम्बर 1783 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से 1784.39 वर्गमीटर भूमि औद्योगिक प्रार्थी के खातेदारी एवं शेष भूमि को राजकीय बिलानाम दर्ज किये जाने तथा आराजी नम्बर 1783 के तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner